


संविधान दिवस 2024

एकता और लोकतंत्र की भावना का जश्न मनाना

25 नवम्बर, 2024

भारतीय संविधान 26 नवंबर, 1949 को अंगीकार किया गया। ये इतिहास का वो निर्णायक दिन था जब देश में स्वशासन और लोकतंत्र की सुबह की शुरुआत हुई। लगभग तीन वर्षों तक चली प्रक्रिया में देश के कुछ महानतम विचारक दिल्ली के संविधान सभा हॉल में एकत्रित हुए और अथक बहस के बाद, नए स्वतंत्र भारत की नींव का मसौदा तैयार करने और उसे परिष्कृत करने का काम पूरा हुआ। यह दस्तावेज़ न केवल शासन की संरचना को परिभाषित करता है, बल्कि लाखों भारतीयों की आशाओं, सपनों और आकांक्षाओं को भी मूर्त रूप देगा, उन्हें न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के बैनर तले एकजुट करेगा। भारत के लोगों को एकजुट करने वाले मूल आदर्शों को संरक्षित रखते हुए देश के उभरते सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक परिदृश्य के अनुकूल, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की रीढ़ के रूप में, संविधान देश की प्रगति का मार्गदर्शन करना जारी रखता है।



स्वशासन का आनंद : संविधान स्वराज का उत्सव है। संविधान, भारत के औपनिवेशिक दासता से संप्रभु लोकतंत्र के रूप में परिवर्तन को मान्यता प्रदान करता है और भारत के लोगों को अपनी नियति तय करने की शक्ति प्रदान करता है। लोकतांत्रिक प्रथाओं को संस्थागत बनाकर, इसने नागरिकों को शासन में भाग लेने, अधिकारों को बनाए रखने और अपने नेताओं से जवाबदेही की मांग करने का अधिकार दिया।

26 नवंबर को संविधान दिवस या कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया हमें इस चिरस्थायी विरासत की याद दिलाता है। 2015 में पहली बार मनाया गया यह दिवस गहन चिंतन का अवसर प्रदान करता है। यह प्रत्येक नागरिक को अपने अधिकारों को समझने और संविधान में उल्लेखित अपने कर्तव्यों को पूरा करने का आह्वान करता है। देश भर में यह दिवस, स्कूल, कॉलेज और संस्थान, संविधान की प्रस्तावना पढ़कर, चर्चा करके और दस्तावेज़ में निहित शाश्वत मूल्यों पर जोर देने वाली गतिविधियों के साथ मनाते हैं।

भाषाओं, जातियों, धर्मों और संस्कृतियों में फैली अनूठी विविधता वाले देश में, भारत की परंपराओं और वास्तविकताओं में गहराई से निहित भारतीय संविधान एक एकीकृत शक्ति के रूप में मौजूद है। भारतीय संविधान वैश्विक और स्वदेशी विचारों के मिश्रण से प्रेरित, संविधान ब्रिटिश संसदीय प्रणाली, अमेरिकी अधिकार विधेयक और स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के फ्रांसीसी आदर्शों के तत्वों को सहजता से एकीकृत करता है। इसकी व्यापक लेकिन लचीली

संरचना यह सुनिश्चित करती है कि यह आकांक्षी और व्यावहारिक दोनों है, जो कालातीत मूल्यों को बनाए रखते हुए समकालीन चुनौतियों का समाधान करने में सक्षम है।

बहुलवाद को अपनाने वाली परिकल्पना के साथ तैयार, भारत का संविधान यह सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक व्यक्ति और समुदाय को राष्ट्र के ढांचे के भीतर अपनी बात रखने का अधिकार और स्थान मिले। अपने समावेशी प्रावधानों और प्रगतिशील दृष्टिकोण के माध्यम से, संविधान भारत की विविधता को उसकी ताकत में परिवर्तित कर देता है, स्वीकृति, आपसी सम्मान और साझा उद्देश्य पर आधारित एक सुसंगत राष्ट्रीय पहचान बनाता है। संविधान इस समावेशिता को सुनिश्चित करता है, धर्म, भाषा और सांस्कृतिक प्रथाओं की स्वतंत्रता जैसे मौलिक अधिकारों की गारंटी देता है। यह सुनिश्चित करता है कि विविधता राष्ट्र को विभाजित करने के बजाय मजबूत करती है।

इतनी विशाल सामाजिक-आर्थिक और सांस्कृतिक विविधता को समायोजित करने में सक्षम संविधान का मसौदा तैयार करना कोई छोटी उपलब्धि नहीं थी। भारतीय समाज का सूक्ष्म रूप में प्रतिनिधित्व करने वाली संविधान सभा में शुरुआत में 389 सदस्य थे, जो बाद में विभाजन के बाद 299 रह गए थे। सरकारी प्रांत, रियासतें और मुख्य आयुक्त प्रांत जैसी विभिन्न पृष्ठभूमियों से आने वाले लोग इसके सदस्यों के रूप में शामिल थे। संविधान सभा में भारत की जीवंतता झलकती थी, जिसमें स्वतंत्रता सेनानी, कानूनी दिग्गज, समाज सुधारक और दूरदर्शी शामिल थे। साथ मिलकर, उन्होंने एक ऐसा दस्तावेज बनाने की जिम्मेदारी उठाई जो भारत जैसे विविधतापूर्ण राष्ट्र को एकजुट कर सके। संविधान प्रत्येक भारतीय की आकांक्षाओं के अनुरूप एक दस्तावेज हो, यह सुनिश्चित करते हुए उन्होंने औपनिवेशिक शासन, विभाजन और स्वतंत्रता के अपने अनुभवों को सामने रखा। उनमें पंद्रह असाधारण महिलाएँ थीं, जिन्होंने ऐसे समय में समान अधिकारों और सार्वभौमिक मताधिकार की वकालत की, जब विकसित देशों में भी सरकारी निर्णयों में महिलाओं की भागीदारी दुर्लभ थी। उनकी वकालत और दृष्टिकोण एक ऐसे संविधान को आकार देने में सहायक रहे जो समावेशी और दूरदर्शी दोनों है।

भारतीय संविधान एक "जीवित दस्तावेज" के रूप में मौजूद है, जो तेजी से बदलती दुनिया में इसकी अनुकूलनशीलता और स्थायी प्रासंगिकता का प्रमाण है। एक स्थिर कानूनी ढांचे से कहीं आगे, यह एक गतिशील और विविधतापूर्ण राष्ट्र की भावना को दर्शाता है, जो शासन, व्यक्तिगत सशक्तिकरण और सामाजिक परिवर्तन को एक साथ जोड़ती है। मौलिक अधिकारों, राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों और शासन संरचनाओं के लिए इसके प्रावधान नागरिकों के सशक्तिकरण और राज्य की जवाबदेही दोनों को सुनिश्चित करते हैं। संविधान ने राजनीतिक अशांति और सामाजिक उथल-पुथल के दौर में एक स्थिर शक्ति के रूप में कार्य करते हुए लगातार कानून के शासन को कायम रखा है। संकट के क्षणों में, चाहे आंतरिक कलह या

बाहरी चुनौतियों के कारण, संविधान ने राष्ट्र के लिए आशा की किरण और मार्गदर्शक के रूप में अपनी भूमिका की पुष्टि की है।

संविधान की सबसे उल्लेखनीय विशेषताओं में से एक इसकी अनुकूलनशीलता है। अब तक 105 संशोधनों के साथ, यह समाज, प्रौद्योगिकी और वैश्विक विकास की बदलती आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विकसित हुआ है, जबकि इसके मूलभूत सिद्धांतों को संरक्षित किया गया है। यह अनुकूलनशीलता इसकी दूरदर्शिता को रेखांकित करती है, जिससे यह अपने मूल आदर्शों से समझौता किए बिना एक प्रासंगिक और प्रभावी शासन उपकरण बना रहता है। अपने शुरुआती दिनों में संदेह के बावजूद, आलोचकों ने सवाल उठाया कि एक विविध और नव स्वतंत्र देश कितने समय तक खुद को बनाए रख सकता है। संविधान समय की कसौटी पर खरा उतरा है, सात दशकों से अधिक समय तक स्थिरता और एकता प्रदान करता रहा है।

भारत जैसे विविधतापूर्ण देश के लिए संविधान एक वादा है। यह संस्कृतियों, भाषाओं और परंपराओं के संरूपों को एक साथ जोड़ता है। संसद पुस्तकालय में हीलियम से भरे बॉक्स में सुरक्षित संविधान की मूल प्रतियां आज भी हमें चकित करती हैं और उन लोगों के सपने की याद दिलाती हैं जिन्होंने समानता और न्याय के सिद्धांतों पर निर्मित भारत का सपना देखा था। यह नागरिकों को सशक्त बनाता है और बदले में नागरिक इसका पालन करके, इसकी रक्षा करके और अपने दैनिक जीवन में इसके आदर्शों को बनाए रखकर संविधान को सशक्त बनाते हैं।

संविधान दिवस के अवसर पर हम 1949 के उस असाधारण क्षण का सम्मान करते हैं जब इस ऐतिहासिक दस्तावेज़ को अंगीकार किया गया था। यह अतीत का जश्न मनाने, वर्तमान से जुड़ने और ऐसे भविष्य के लिए खुद को प्रतिबद्ध करने का दिन है जहां संविधान के आदर्श हमारे लोकतंत्र की आधारशिला बने रहें। यह दिवस याद दिलाता है कि संविधान केवल सरकार या न्यायपालिका का संरक्षण भर नहीं है - यह एक सामूहिक जिम्मेदारी, एक साझा विरासत और एक वादा है जो हम सभी को एक सूत्र में पिरोता है।

संदर्भ

[संविधान दिवस 2024: एक ऐतिहासिक क्षण का सम्मान](#)

[00000://00000000000.000.00/000000/000000000/2019/12/190.000](#)

[00000://0000000000.000.00/00000/0000000/00000/00000-](#)

[00%20000%2000000000.000](#)

[00000000 00 000](#)

एमजी/केसी/वीके/ओपी

(0000000 00: 153449)